हर इंसान-एक समान एक राष्ट्र-एक जान मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन — संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)
माननीय श्री अशोक कुमार सिंह — संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)
माननीय श्री भागीरथ शर्मा — संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 64450 दिनांक : 28.05.2023

श्रीमान मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय
जयपुर ।

विषयः-- संवैधानिक प्रावधानों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार रोस्टर पंजिकायें एवं संख्यात्मक आंकड़े ऑन लाइन संधारित किये जाने बाबत।

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि तत्कालीन मुख्य सचिव के आदेशानुसार कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 27.10.2020 को परिपत्र (प्रति संलग्न) जारी करके राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा प्रत्येक सेवा संवर्ग से संबंधित नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण दिये जाने से संबंधित पृथक–पृथक रोस्टर पंजिकायें संधारित किये जाने के अनिवार्य निर्देश जारी किये गये थे। इन रोस्टर पंजिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रत्येक विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और उनके लिंक कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिये अनिवार्य निर्देश दिये गये थे।

दुर्भाग्य से उपरोक्त निर्देशों की विभिन्न विभागों द्वारा केवल खानापूर्ति की गई है। किसी भी विभाग की वेबसाइट या कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 01.04.2021 के पश्चात कोई रोस्टर पंजिका अपडेट नहीं की गई है। रोस्टर पंजिकाओं को प्रत्येक छः महिने में अद्यतन रूप से अपडेट किया जाना चाहिये। इसके साथ ही इन रोस्टर पंजिकाओं का उपयोग प्रत्येक आरक्षित वर्ग का उस संबंधित सेवा संवर्ग में कुल प्रतिनिधित्व दिखाये जाने के संबंध में भी किया जाना चाहिये। ताकि संवैधानिक प्रावधानों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर पर्याप्त/अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण अलग से करने की आवश्यकता नहीं हो।

यह सर्वविदित है कि किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व देखने के लिए किसी सेवा संवर्ग में उस वर्ग विशेष की आरक्षित और अनारक्षित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या का कुल योग विचारित किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के सभी विभागों में संधारित ऑन लाइन रोस्टर पंजिकाओं को प्रत्येक छः माह में अनिवार्य रूप से अद्यतन/अपडेट किया जाता रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन ऑनलाइन रोस्टर पंजिकाओं के नीचे ही प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लोक सेवकों का निर्धारित कोटा (आरक्षण प्रतिशत के आधार पर) और कुल प्रतिनिधित्व (आरक्षित और अनारक्षित पदों पर कार्यरत वर्ग विशेष के लोकसेवकों की कुल संख्या) स्पष्ट और अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाती रहे।

त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

संलग्नः— परिपत्र दिनांक 27.10.2020

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांक: 27 OCT 2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.02.2020 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.05.2020 एवं दिनांक 27.07.2020 द्वारा सभी विभागों को अपने–अपने विभाग में सभी संवर्गो के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर दिनांक 31.08.2020 तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे, परंतु कई विभागों द्वारा आदिनांक तक उक्त आशय का प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रस्तुत नही किया गया है।

इस क्रम में समस्त संबंधित से पुनः निवेदन है कि अविलम्ब सभी संवर्गो के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में भिजवाने के साथ ही उक्त रोस्टर पंजिकाओं को विभाग की वेबसाईट पर भी अद्यतन करावें एवं उसका एक लिंक कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया जाये।

उक्त निर्देशों की पालना करते हुए शीघ्रता पूर्वक रोस्टर पंजिका संधारित कर वेबसाईट पर अद्यतन कराते हुए प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवायें।

26/x/2020

(हेमन्त गेरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ, उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

64/2020

D:/Vishnu/Circular/2017

Scanned with CamScanner